

कच्चा सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अनुसार)

जबकि अखोहस्ताक्षरी प्रतिभूतिकरण, विनिमय संस्थानों को पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एलएचसीएलएस फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उपाचारकों(1) सह-उपाचारकों(2) सह-नोटिस जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी।

उपाचारकों, सह-उपाचारकों राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उपाचारकों / सह-उपाचारकों और आम जनता को कोई भुवना नहीं दी जाती है कि नीचे इलाहाबादकॉ ने उक्त प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित राशिपर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई तारीखों कच्चा कर दिया है।

विशेष रूप से उपाचारकों / सह-उपाचारकों और सामान्य रूप से जनता को आग्रह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी वाइनेटिंग के प्रभाव के अधीन होगा।

उपाचारकों का नाम और याता यात्रा मांग नोटिस की तिथि और आम खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण और कच्चा की तिथि	कच्चा नोटिस में जारी गई राशि (रु. में)
1. अधिकारी एंटरप्राइज (आयरेक)	राशि का संपूर्ण बंध भाग एवं चंड जैजिक मकान क्रमांक सी.के. 48/ 143 का भाग, निर्मित बंध सड़क 678.33 वर्ग फुट क्षेत्रफल की राशि, मोहल्ला हरश, वाड चौक, परगना देहात अमानत, तहसील एवं जिला वाराणसी।	रु. 22,14,091/- (रु. बाईस लाख चौह्र हजार इक्याने मात्र)
2. राजेश कुमार यादव (सह-आवेदक-1)	221001 में स्थित है. उल्माएं. पूरे, कमान क्रमांक सी.के. 48/ 143 का शेष भाग, पोलिस 6 फुट चौड़ी गली, उत्तर-अग्र खाता सं. 4021060000174300 (PRO1127462) एवं 4021060000156230 (PRO1109711)	दिनांक 11.03.2026 तक परस दिनांक 12.03.2026 से अनापत्ति प्राप्त

सूचित संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध राशय के संबंध में, उपाचारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

कच्चा सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, सौराष्टी रोड पर, कलिंगा, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम-8(1)) कच्चे का नोटिस (अबल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वितीय संपत्तियों को प्रातिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 के तहत और प्रातिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उपाचारकों(1) को एक मांग नोटिस जारी किया बा जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

समस्याएं, इतने उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित दृष्ट के दृष्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है जिससे इसके बाद "इंएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है।। तदनुसार, सार्वभौम अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निर्माणित समनुदेशन समझौते के अनुसार, मैं, इंएआरसी ने समनुदेशन का स्थान ले लिया है। उपाचारकों द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशन के सभी अधिकार, स्वयं और हित, अंतर्निहित सुरक्षा हितों गारंटी और रिपरि की साथ अब इंएआरसी में निहित हो गए हैं और इंएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

उपाचारकों द्वारा जारी चुकाने में असफल होने के कारण, उपाचारकों और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अखोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक संपत्ति के सम्बन्ध वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	अग्र खाता सं.	कर्जदार / सह-कर्जदार का नाम	राशि और मांग सूचना की तिथि	कच्ची की तिथि	कच्ची का प्रकार
1	ईडसईड बैक लि.	EARC Trust SC-414	DAAD0115N, DAAD0083N, and DAAD0143N	1. मैसर्स ए-1 सेल्स (उपाचारकों), 2. श्री अनुराग समरवाल (सह-उपाचारकों / बंधकर्ता), 3. श्रीमती सावित्र य्यारी समरवाल (सह-उपाचारकों / बंधकर्ता) (मृतक के बाद से : उनके विधिक उत्तराधिकारी श्री अनुराग समरवाल एवं सुश्री श्रद्धा खत्री के माध्यम में), तथा 4. श्रीमती ईशा अरोड़ा (सह-उपाचारकों)	30.10.2023 तक अग्र संख्या DAAD00115N हेतु रु. 82,49,958.79 30.10.2023 तक अग्र संख्या DAAD0083N हेतु रु. 1,04,18,743.49 30.10.2023 तक अग्र संख्या DAAD0143N हेतु रु. 1,25,81,291.42 और 06.12.2023	30-06-2026	नीतिक कच्चा

अबल संपत्तियों का विवरण:

संपत्ति सं. 1 : वाणिज्यिक दुकान सं. एक.एक.-10, शशी स्क्वायर संपत्ति सं. 37 / 206, खरसा सं. 189, नगला पार्श्व, आगरा – 282005, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 572 वर्ग फुट सीमाएं विमननुराह हैं: उत्तर- कॉरिडोर, दक्षिण: खुला आकाश, पूर्व: दुकान सं. एक.एक.-08 एवं एक.एक.-08, पश्चिम: दुकान सं. एक.एक.-11 स्वामी की अनुप्राप्त समरवाल

संपत्ति सं. 2 : वाणिज्यिक दुकान सं. एक.-2, प्रथम तल, विनजुमला संपत्ति सं. 36 / 202 / 5, भुनि – खरसा सं. 399, क्षेत्रफल 27.74 वर्ग मीटर अथवा 33.16 वर्ग मज, न्यू आगरा डायलबाग रोड, हरिपवन हट, तहसील एवं जिला आगरा – 282005, उत्तर प्रदेश सीमाएं विमननुराह हैं: उत्तर- सां संपत्ति की दीवार, तत्पश्चात यूनिट 3, एक.-3 दक्षिण: उक्त संपत्ति की दीवार, तत्पश्चात मांग [एरोज] पूर्व: उक्त संपत्ति की दीवार, तत्पश्चात युनिट 5: उत्तर- पश्चिम: 4 फुट चौड़ा कॉरिडोर स्वामी श्रीमती सावित्र य्यारी समरवाल

संपत्ति सं. 3 : वाणिज्यिक दुकान सं. एक.एक.-11, द्वितीय तल, शशी स्क्वायर, नगर निगम संपत्ति सं. 37 / 206, खरसा सं. 189 का भाग, मौजा नगला पाडी, दयालबाग रोड, हरिपवन हट, तहसील एवं जिला आगरा – 282005, उत्तर प्रदेश, मिर्जा क्षेत्रफल 571.866 वर्ग फुट अथवा 53.13 वर्ग मीटर अथवा 63.55 वर्ग गज, विमननुराह हैं: उत्तर- सामान्य कॉरिडोर, दक्षिण: खुला आकाश, पूर्व: दुकान सं. एक.एक.-10, पश्चिम: दुकान सं. एक.एक.-12, पश्चमी: की अनुप्राप्त समरवाल संपत्ति सं. 4 : वाणिज्यिक दुकान सं. यु.जी.-01, शालि स्क्वायर, नगर निगम संपत्ति सं. 37 / 206, खरसा सं. 189 का भाग, मौजा नगला पाडी, दयालबाग रोड, हरिपवन हट, तहसील एवं जिला आगरा – 282005, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 78.77 वर्ग गज सीमाएं विमननुराह हैं: उत्तर- दुकान सं. यु.जी.-02 दक्षिण: 5 फुट चौड़ा कॉरिडोर पूर्व: 5 फुट चौड़ा कॉरिडोर पश्चिम: दुकान सं. यु.जी.-10 स्वामी की अनुप्राप्त समरवाल संपत्ति सं. 5 : वाणिज्यिक दुकान सं. एक.एक.-08, शशी स्क्वायर नगर निगम संपत्ति सं. 37 / 206, खरसा सं. 189 का भाग, मौजा नगला पाडी, दयालबाग रोड, हरिपवन हट, तहसील एवं जिला आगरा – 282005, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 493.299 वर्ग फुट सीमाएं विमननुराह हैं: उत्तर: दुकान सं. एक.एक.-08 खुला खुला आकाश पूर्व: कॉरिडोर पश्चिम: दुकान सं. एक.एक.-10 स्वामी की अनुप्राप्त समरवाल

उपाचारकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध राशय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उपाचारकों और आम जनता को सचेतित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अग्रत वाले सति और उस पर सभी व्यापक इस्पाति सहित को अर्पित होगा।

स्थान: आगरा
दिनांक: 30.06.2026

कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड



एजी वेंचर्स लिमिटेड

(पूर्व में ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड)

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – L64990UW1978PLC249903

रजिस्टर्ड ऑफिस: 14वीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर सी-1, सेक्टर –16,

नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

ईमेल आईडी: investors@agventures.co.in, फोन: +91 120 2446850

वेबसाइट: www.agventuresltd.com

46वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और कट ऑफ डेट

यह सूचित किया जाता है कि एजी वेंचर्स लिमिटेड (पूर्व में ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड) ("कंपनी") के सदस्यों की 46वीं ("छियालीसवीं") वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑप्शियल माध्यम ("ऑनपीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि नोटिस में निर्धारित कारोबार को पूरा किया जा सके। 46वीं एजीएम का नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत जारी नियमों के सभी लागू प्राधान्यों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या नईआईबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-चौडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 साथ ही एमसीए और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में है।

लागू एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केवल उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी, इसके रजिस्ट्रार और कॉर्पोरर जेंट (आरटीए), एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, जैसा कि संशोधित किया गया है, के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, उन सदस्यों को जो कंपनी, आरटीए, या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं करते हैं, उन्हें पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए सटीक पथ वाली एक वेब-लिंक भौतिक माध्यम से इनलैंड लेटर्स के माध्यम से भेजी गई है।

सदस्य या तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश, एजीएम में ई-वोटिंग और डीपीटीरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए वीसी/ओवीपीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।

3 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र (14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के परिपत्रों द्वारा संशोधित) के अनुसार, कंपनी प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि पन्नों की त्रुटि, नामांकन विफल, सर्वे विफल, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर के साथ अपडेट नहीं किया जाता है, तो ऐसे पन्नों के संबंध में लाभांश सहित कोई भी भुगतान, आरटीए को उपरोक्त सभी विवरणों को पूरी तरह से प्रस्तुत करने पर 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्राधान्यों के अनुसार, जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवाय मानक (एसएस-2) जिसमें उसके तहत संशोधन भी शामिल हैं, कंपनी अपने सदस्यों को शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को शेयरों को रखने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है।, जो कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के अधिकार को कोट रहा है। सदस्य बैठक के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके ("रिमोट ई-वोटिंग") या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म "इंस्टावोट" के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था") को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग का विवरण विमननुराह है:

- वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना भेजने की तिथि: 30 जून, 2026।
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 (9.00 पूर्वाह्न भारतीय मानक समय) से शुरू होती है और गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 (5.00 बजे भारतीय मानक समय) को समाप्त होती है।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को रात 5.00 बजे के बाद नहीं किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 तक शेयर रखता है, वह investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com या investors@agventures.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर-आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- वीसी/ओवीपीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते।
- एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन एजीएम में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- एक व्यक्ति जिसका नाम जमाकर्ताओं द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को दर्ज किया गया है, वह एजीएम में या तो रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया और वीसी/ओवीपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेना एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते के पंजीकरण का तरीका एजीएम के नोटिस में उपलब्ध है। एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.agventuresltd.com, आरटीए की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in/> और रटॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध है जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

मेसर्स सी. सरवाणी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों के श्री प्रबन कुमार सरवाणी (सदस्यता संख्या एफसीएस 3381) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग के परिणाम और जांचकर्ता की रिपोर्ट परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट, यानी www.agventuresltd.com पर रखी जाएगी और रटॉक एक्सचेंज को भी जारी जाएगी जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

10 जून, 2024 के सेबी परिपत्र के अनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारक लाभांश सहित किसी भी भुगतान की प्राप्ति के लिए पात्र होंगे, साथ ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए भी पात्र होंगे, भले ही इन शेयरधारकों द्वारा "नामांकन का विफल" प्रस्तुत नहीं किया गया हो। सभी नए शेयरधारकों को डिमैट खातों के लिए 'नामांकन का विफल' अनिवार्य रूप से प्रदान करना जारी रखना होगा (संयुक्त रूप से धारित डिमैट खातों को छोड़कर)। सभी मौजूदा शेयरधारकों को 'नामांकन का विफल' प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए आवश्यक प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.agventuresltd.com पर उपलब्ध हैं।

किसी भी पूछताछ/शिकायतों के मामले में, आप सहायता अनुभाग के तहत <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध अस्सर पूछें जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल को संदर्भित कर सकते हैं या investor.helpdesk@in.mufg.m.com पर ईमेल लिख सकते हैं या +91 33 69066200 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कंपनी सचिव श्री विपिन से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में +91 120 2446850 पर संपर्क कर सकते हैं या investors@agventures.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं।

कृते एजी वेंचर्स लिमिटेड

(पूर्व में ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड)

हस्ता/-

विपिन

स्थान: नोएडा
दिनांक: 1 जुलाई, 2026

कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी (सदस्यता सं. ए55308)

	कार्यालय : पर्वल फाइनेंस लिमिटेड, 705/706, 7वीं तल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, सैत जवाहरर मार्ग, बांद्रा (पु.बि), मुंबई-400061. दूरभाष : 022-69165123, फैक्स/ईमेल: www.purplefinance.in कच्चा सूचना (अबल संपत्ति के लिए)										
जबकि, अखोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसित्यों के प्रातिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रातिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 को 54) के अंतर्गत पर्वल फाइनेंस लिमिटेड ("पीएफआई") के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रातिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना जारी की थी, जिससे ऋणधारकों और सह-ऋणधारकों से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज चुकाने के लिए कहा गया था। ऋणधारक राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अखोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत नियम 9 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कच्चा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेनदेन न करें तथा संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन नीचे प्रत्येक संबंधित संपत्तियों के लिए उल्लिखित पर्वल फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा :											
<table> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>ऋणधारक और सह-ऋणधारक का नाम / ऋण खाता संख्या / शाखा</th><th>वित्तन संपत्तिके संबंध में हित सुचित किया गया है</th><th>मेजी गई मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि</th><th>सांकेतिक कच्चा की तिथि</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>उत्तम वीर (ऋणधारक) 2. राम खेवतार (सह-ऋणधारक) 3. लाजवती जी (सह-ऋणधारक) लैन : PFSLSLK00002555 शाखा : लखनऊ</td><td>आवारी गटा संख्या 10098 के भाग पर स्थित प्लॉट नं. 42 पर मकान, क्षेत्रफल 441.820 वर्ग मीटर, ग्राम- बुडिया और, परगना- दरियाबाद, तहसील- सिविली गोपुर, जिला- वावर्वा, उत्तर प्रदेश – 225415 लोनार्- पूर्व- आबादी सीमा, पश्चिम- दिलीप, दक्षिण- कान्हालवा, उत्तर- खुसराम</td><td>13-04-2026 तथा रु. 842245 /-</td><td>29-06-2026</td></tr> </table>	क्र. सं.	ऋणधारक और सह-ऋणधारक का नाम / ऋण खाता संख्या / शाखा	वित्तन संपत्तिके संबंध में हित सुचित किया गया है	मेजी गई मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि	सांकेतिक कच्चा की तिथि	1.	उत्तम वीर (ऋणधारक) 2. राम खेवतार (सह-ऋणधारक) 3. लाजवती जी (सह-ऋणधारक) लैन : PFSLSLK00002555 शाखा : लखनऊ	आवारी गटा संख्या 10098 के भाग पर स्थित प्लॉट नं. 42 पर मकान, क्षेत्रफल 441.820 वर्ग मीटर, ग्राम- बुडिया और, परगना- दरियाबाद, तहसील- सिविली गोपुर, जिला- वावर्वा, उत्तर प्रदेश – 225415 लोनार्- पूर्व- आबादी सीमा, पश्चिम- दिलीप, दक्षिण- कान्हालवा, उत्तर- खुसराम	13-04-2026 तथा रु. 842245 /-	29-06-2026	
क्र. सं.	ऋणधारक और सह-ऋणधारक का नाम / ऋण खाता संख्या / शाखा	वित्तन संपत्तिके संबंध में हित सुचित किया गया है	मेजी गई मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि	सांकेतिक कच्चा की तिथि							
1.	उत्तम वीर (ऋणधारक) 2. राम खेवतार (सह-ऋणधारक) 3. लाजवती जी (सह-ऋणधारक) लैन : PFSLSLK00002555 शाखा : लखनऊ	आवारी गटा संख्या 10098 के भाग पर स्थित प्लॉट नं. 42 पर मकान, क्षेत्रफल 441.820 वर्ग मीटर, ग्राम- बुडिया और, परगना- दरियाबाद, तहसील- सिविली गोपुर, जिला- वावर्वा, उत्तर प्रदेश – 225415 लोनार्- पूर्व- आबादी सीमा, पश्चिम- दिलीप, दक्षिण- कान्हालवा, उत्तर- खुसराम	13-04-2026 तथा रु. 842245 /-	29-06-2026							
तिथि : 02/07/2026, दस्ता : बाबाबंकी हस्ता- प्राधिकृत अधिकारी, पर्वल फाइनेंस लिमिटेड											

तिथि : 02/07/2026, स्थान : बाराबंकी हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, पर्वल फाइनेंस लिमिटेड

		गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड		परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कच्चा सूचना (अबल सम्पत्ति हेतु)	
पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, बी-बिल्डिंग, प्ला प्लाट विनोद पार्क, लोहागाँव, पुणे, महाराष्ट्र – 411014.					
जबकि अखोहस्ताक्षरी ने गृहम हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड जिसने इसके बाद उपरोक्त कॉर्पोरेट/पंजीकृत कर्तालय का सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा है के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आसित्यों का प्रातिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रातिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रातिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिससे निम्नवर्णित कर्तव्य से सूचना में वर्णित बक्षय राशि का भूगलन उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकने में असफल रहे हैं, अतः एतद्वारा कर्जदारी और जनसाधारण की सूचना दी जाती है कि अखोहस्ताक्षरी ने प्रातिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है। कर्जदारी को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इन सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार प्रत्तिभू लेनदार की बक्षय राशि और उस पर ब्याज द्वावारे सहित के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्यभूत आसित्यों को खुदगने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, ऑप्शनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कच्चे में ली गई सम्पत्ति का विवरण यहाँ नीचे दिया गया है।					
क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कच्चा सूचना की तिथि	संश्लिष्ट मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1	मीरू सिंह, सोनियक्ष	समस्त वह माग एवं खंड की आवासीय मकान (परिवर्नीय) धारा की संपत्ति जोकि खसरा क्रमांक 362 क्षेत्रांक 52.55 वर्ग गज अथवा 43.92 वर्ग मीटर, ईशापुरम राजवर ग्राम, अम्हेंरा आदीपुर, परगना, तहसील एवं जिला मेरठ 250001 में स्थित संपत्ति की सीमाएं: पूर्वी: 43 / मकान का शेष भाग, पश्चिम: 43 / सड़क (बांद गली), उत्तर: 11 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण: 11 / ठेकेदार का प्लॉट	26.06.2026	11.11.2025	ब्याज सं. HL0060510000005019162 रु. 21,11,161/- (रु. इक्कीस लाख चारस हजार एक सौ इक्करस मात्र) 11.11.2025 तक देय, साथ ही वस्तुी तक 13.35 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
किसी भी मामले में यह सूचना केवल मांग के प्रकटन और अंतर्धी समारण पत्र प्रकटन की सम्पत्ति के बीच कोई और है, तो कर्जवर्तित्व एतद्वारे में प्रकटित अंतर्धी समारण पत्र कच्चा की साक्षी अन्य होगी।					
स्थान: दिल्ली, दिनांक: 02.07.2026		हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड			

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS") OR UNITS NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES OF GNI INFRASTRUCTURE LIMITED ON THE MAIN BOARD OF BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA, SEBI ICDR REGULATIONS (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT



GNI INFRASTRUCTURE LIMITED

Our Company was originally formed as a partnership firm under the name of 'M/s Guranank Industries' pursuant to a deed of partnership dated November 25, 1980, under the Indian Partnership Act, 1932 was re-constituted on April 1, 1992 and May 1, 2007 and was subsequently renamed to "GNI Infrastructure". "GNI Infrastructure" was thereafter converted from partnership firm into a private limited company incorporated as "GNI Infrastructure Private Limited" under the erstwhile Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated August 22, 2007 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. Subsequently, pursuant to a special resolution dated May 13, 2023, our Company was converted to a public limited company, and the name of our Company was changed from "GNI Infrastructure Private Limited" to "GNI Infrastructure Limited", and a fresh certificate of incorporation dated October 25, 2023 was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. For details of change in the name and registered office of our Company, see **"History and Certain Corporate Matters"** on page 291 of the draft red herring prospectus dated June 30, 2026 ("DRHP").

Corporate Identity Number: U42101MH2007PLC173342

Registered Office and Corporate Office: C/O GN House, 3rd Floor, Gut No. 107, Plot No. 07, Renuka Mata Kaman, Satara Parishar, Aurangabad – 4